राजस्थान राज–पत्र
विशेषांक
साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary
*Published by Authority*

आश्विन 28, मंगलवार, शाके 1937–अक्टूबर 20, 2015
*Asvina 28, Tuesday, Saka 1937-October 20, 2015*

सत्यमेव जयते

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

**विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग**

**(ग्रुप–2)**

अधिसूचना

**जयपुर, अक्टूबर 20, 2015**

**संख्या प. 2 (50) विधि/2/2015:**–राजस्थान राज्य विधान–मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 15 अक्टूबर, 2015 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:–

## राजस्थान तंग करने वाली मुकदमेबाजी (निवारण) अधिनियम, 2015

**(2015 का अधिनियम संख्यांक 36)**

[राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 15 अक्टूबर, 2015 को प्राप्त हुई]

उच्च न्यायालय में और उसके अधीनस्थ न्यायालयों में तंग करने वाली सिविल और दांडिक कार्यवाहियां संस्थित करने या जारी रखने को निवारित करने के लिए अधिनियम।

यत:, उच्च न्यायालय में और उसके अधीनस्थ न्यायालयों में तंग करने वाली सिविल और दांडिक कार्यवाहियां संस्थित करने या जारी रखने को निवारित किया जाना समीचीन है;

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. **संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ.-** (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान तंग करने वाली मुकदमेबाजी (निवारण) अधिनियम, 2015 है।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है।

(3) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

**2. किसी व्यक्ति को तंग करने वाले मुकदमेबाज के रूप में घोषित करना.-** (1) किसी व्यक्ति को तंग करने वाले मुकदमेबाज के रूप में घोषित करने के लिए-

(क) महाधिवक्ता द्वारा; या

(ख) उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा; या

(ग) उच्च न्यायालय की अनुमति से, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसके विरुद्ध किसी अन्य व्यक्ति ने सिविल या दांडिक कार्यवाहियां संस्थित या संचालित की हैं,

उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदन फाइल किया जा सकेगा।

(2) यदि, उप-धारा (1) के अधीन फाइल किये गये किसी आवेदन पर, उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि किसी व्यक्ति ने किसी न्यायालय में आदतन और किसी युक्तियुक्त आधार के बिना चाहे एक ही व्यक्ति के विरुद्ध या भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के विरुद्ध तंग करने वाली सिविल या दांडिक कार्यवाहियां संस्थित की हैं, तो उच्च न्यायालय उस व्यक्ति को, जिसने ऐसी कार्यवाहियां संस्थित की हैं, सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात् यह घोषित कर सकेगा कि वह व्यक्ति तंग करने वाला मुकदमेबाज है।

(3) जब उप-धारा (1) के खण्ड (ख) या (ग) के अधीन निर्दिष्ट किसी भी व्यक्ति द्वारा आवेदन फाइल किया जाये तो उस आवेदन पर महाधिवक्ता को भी सुना जायेगा।

(4) उप-धारा (1) के अधीन फाइल किया गया आवेदन उच्च न्यायालय की खण्ड न्यायपीठ द्वारा सुना और विनिश्चित किया जायेगा।

**3. किन्हीं सिविल या दांडिक कार्यवाहियों को संस्थित करने या जारी रखने के लिए तंग करने वाले मुकदमेबाज के लिए न्यायालय की अनुमति का आवश्यक होना.-** (1) जब उच्च न्यायालय, उप-धारा (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, धारा 2 की उप-धारा (2) के अधीन किसी व्यक्ति को तंग करने वाले मुकदमेबाज के रूप में घोषित करता है तो न्यायालय यह आदेश भी करेगा कि समुचित न्यायालय या समुचित न्यायाधीश की अनुमति प्राप्त किये बिना-

(क) उक्त व्यक्ति द्वारा उच्च न्यायालय में या उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी अन्य न्यायालय में कोई सिविल

या दांडिक कार्यवाहियां संस्थित नहीं की जायेंगी; और

(ख) उच्च न्यायालय में या उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी अन्य न्यायालय में उक्त व्यक्ति द्वारा कोई सिविल या दांडिक कार्यवाहियां, यदि पहले ही संस्थित की हुई हों तो उसके द्वारा जारी नहीं रखी जायेंगी।

(2) तंग करने वाले मुकदमेबाज के रूप में घोषित व्यक्ति के लिए निम्नलिखित मामलों में अनुमति प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा:-

(क) जहां ऐसा व्यक्ति अनुमति प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए समुचित न्यायालय में या समुचित न्यायाधीश के समक्ष कार्यवाही संस्थित कर रहा है;

(ख) जहां, ऐसा व्यक्ति, उसके विरुद्ध संस्थित किये गये किसी मामले में, स्वयं की प्रतिरक्षा करने के लिए समुचित कार्यवाहियां फाइल करने का या समुचित कार्यवाहियां करने का प्रस्ताव करता है;

(ग) जहां, समुचित न्यायालय या समुचित न्यायाधीश से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति द्वारा संस्थित की गयी या जारी रखी गयी किसी कार्यवाही में, उक्त व्यक्ति समुचित और कार्यवाहियां फाइल करने का या समुचित और कार्यवाहियां करने का प्रस्ताव करता है।

(3) अनुमति तब तक प्रदान नहीं की जायेगी, जब तक कि समुचित न्यायालय, या यथास्थिति, समुचित न्यायाधीश का यह समाधान नहीं हो जाता कि कार्यवाहियां न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं हैं और तंग करने वाले मुकदमेबाज के रूप में घोषित व्यक्ति द्वारा संस्थित की या जारी रखी जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाहियों के लिए प्रथमदृष्ट्या आधार है।

**स्पष्टीकरण.**- इस धारा और धारा 5 में,-

(क) "समुचित न्यायालय या समुचित न्यायाधीश" से अभिप्रेत है-

(i) तंग करने वाले मुकदमेबाज के रूप में घोषित व्यक्ति द्वारा उच्च न्यायालय में फाइल की जाने या जारी रखी जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाहियों के मामले में, उच्च न्यायालय;

(ii) तंग करने वाले मुकदमेबाज के रूप में घोषित व्यक्ति द्वारा उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी अन्य न्यायालय में फाइल की जाने या जारी रखी जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाहियों के मामले में, जिला एवं सत्र न्यायाधीश;

(ख) "दांडिक कार्यवाहियां संस्थित करने या जारी रखने" से किसी दंड न्यायालय के समक्ष परिवाद फाइल करके अभियोजन चाहने के लिए कोई कार्यवाही प्रारंभ या संस्थित करना या जारी रखना अभिप्रेत है;

(ग) सिविल या दांडिक कार्यवाहियां संस्थित करने या जारी रखने में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन संस्थित की गयी या जारी रखी गयी कार्यवाहियां सम्मिलित नहीं हैं।

**4. आदेश का प्रकाशन और संसूचना.**- (1) धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन किये गये प्रत्येक आदेश की प्रति राजपत्र में प्रकाशित की जायेगी और ऐसी अन्य रीति से भी प्रकाशित की जा सकेगी जैसाकि उच्च न्यायालय निदेश दे।

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक आदेश, उच्च न्यायालय के अधीनस्थ समस्त न्यायालयों को भी ऐसी रीति से संसूचित किया जायेगा जैसाकि उच्च न्यायालय निदेश दे।

**5. समुचित न्यायालय की अनुमति के बिना संस्थित की गयी या जारी रखी गयी सिविल या दांडिक कार्यवहियों को खारिज किया जाना और अन्य परिणाम.**- (1) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसके विरुद्ध धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन आदेश किया गया है, उस धारा में निर्दिष्ट

अनुमति प्राप्त किये बिना, किसी न्यायालय में संस्थित की गयी या जारी रखी गयी कोई भी सिविल या दांडिक कार्यवाहियां, उक्त न्यायालय द्वारा खारिज की जायेंगी।

(2) उप-धारा (1) के अधीन कार्यवाहियां खारिज करते समय, न्यायालय ऐसे तंग करने वाले मुकदमेबाज को खर्चे संदत्त करने का निदेश भी देगा।

6. **नियम बनाने की शक्ति.**- उच्च न्यायालय इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित किये जाने के प्रयोजन के लिए नियम बना सकेगा।

7. **व्यावृत्ति.**- इस अधिनियम के उपबंध, किसी अन्य विधि में के तंग करने वाले अभिवचनों को काट दिये जाने या विधि की प्रक्रिया के दुरुपयोग को निवारित करने को उपबंधित करने वाले उपबंधों या ऐसे उपबंधों, जिनमें किसी सिविल या दांडिक कार्यवाही के संस्थित किये जाने या जारी रखे जाने के लिए किसी अन्य प्राधिकारी की किसी भी रूप में सहमति, मंजूरी या अनुमोदन की आवश्यकता हो, के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अल्पीकरण में।

दीपक माहेश्वरी,
**प्रमुख शासन सचिव।**

**LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT**
**(GROUP-II)**

NOTIFICATION

**Jaipur, October 20, 2015**

**No. F. 2 (50) Vidhi/2/2015.**-In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of Rajasthan Tang

Karne Wali Mukadmebaji (Nivaran) Adhiniyam, 2015 (2015 Ka Adhiniyam Sankhyank 36):-

**(Authorised English Translation)**

# THE RAJASTHAN VEXATIOUS LITIGATION (PREVENTION) ACT, 2015

**(Act No. 36 of 2015)**

[Received the assent of the Governor on the 15th day of October, 2015]

*An*

*Act*

*to prevent the institution or continuance of vexatious proceedings, civil and criminal, in the High Court and Courts subordinate thereto.*

Whereas, it is expedient to prevent the institution or continuance of vexatious proceedings, civil and criminal, in the High Court and in the courts subordinate to the High Court;

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-sixth Year of the Republic of India as follows:-

**1. Short title, extent and commencement.-** (1) This Act may be called the Rajasthan Vexatious Litigation (Prevention) Act, 2015.

(2) It extends to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

**2. Declaration of a person as a vexatious litigant.-** (1) An application for declaring a person as a vexatious litigant may be filed before the High Court –

(a) by the Advocate General; or

(b) by the Registrar General of the High Court; or

(c) with the leave of the High Court, by a person against whom another person has instituted or conducted proceedings, civil or criminal.

(2) If, on an application filed under sub-section (1), the High Court is satisfied that any person has habitually and without

any reasonable ground instituted vexatious proceedings, civil or criminal, in any court whether against the same person or against different persons, the High Court may, after giving the person who has instituted such proceedings, an opportunity of being heard, declare that person as a vexatious litigant.

(3) When an application is filed by any person referred to in clause (b) or clause (c) of sub-section (1), the Advocate General shall also be heard on the application.

(4) Application filed under sub-section (1) shall be heard and decided by a Division Bench of the High Court.

**3. Leave of Court necessary for vexatious litigant to institute or continue any civil or criminal proceedings.-** (1) Subject to the provisions of sub-section (2), when the High Court declares a person as a vexatious litigant under sub-section (2) of section 2, it shall also order that –

(a) no proceedings, civil or criminal, shall be instituted by the said person in the High Court or any other court subordinate to the High Court; and

(b) no proceedings, civil or criminal, if already instituted by the said person in the High Court or any other court subordinate to the High Court, shall be continued by him,

without obtaining leave of the appropriate Court or the appropriate Judge.

(2) It shall not be necessary for the person declared as a vexatious litigant to obtain leave in the following cases:-

(a) where such person is instituting a proceeding in the appropriate Court or before appropriate Judge for the purpose of obtaining leave;

(b) where, in any matter instituted against him, such person proposes to file or take appropriate proceedings to defend himself;

(c) where, in a proceeding instituted or continued by such person after obtaining leave from the

appropriate Court or the appropriate Judge, the said person proposes to file or take appropriate further proceedings.

(3) Leave shall not be granted unless the appropriate Court or the appropriate Judge, as the case may be, is satisfied that the proceedings are not an abuse of the process of the Court and that there is *prima facie* ground in the proceedings proposed to be instituted or continued by the person declared as a vexatious litigant.

***Explanation.***- In this section and section 5, -

(a) the "appropriate Court or appropriate Judge" means –

(i) the High Court, in the case of a proceeding proposed to be filed or continued by the person declared as a vexatious litigant in the High Court;

(ii) the District and Sessions Judge, in the case of proceeding proposed to be filed or continued by the person declared as a vexatious litigant in any other Court subordinate to the High Court;

(b) "institution or continuation of criminal proceedings" means the commencement or institution or continuation of a proceeding seeking prosecution by filing a complaint before a Criminal Court;

(c) institution or continuation of civil or criminal proceedings does not include proceedings instituted or continued under Article 226 of the Constitution of India.

**4. Publication and Communication of Order.-** (1) A copy of every order made under sub-section (1) of section 3 shall be published in the Official Gazette and may also be published in such other manner as the High Court may direct.

(2) Every order referred in sub-section (1) shall also be communicated to all the courts subordinate to the High Court in such other manner as the High Court may direct.

**5. Proceedings, civil or criminal, instituted or continued without leave of the appropriate Court to be dismissed and other consequences.-** (1) Any proceedings, civil or criminal, instituted or continued in any court by a person against whom an order under sub-section (1) of section 3 has been made, without obtaining the leave referred to in that sub-section, shall be dismissed by the said court.

(2) While dismissing the proceedings under sub-section (1), the court shall also direct such vexatious litigant to pay costs.

**6. Power to make Rules.-** The High Court may make rules for the purpose of implementing the provisions of this Act.

**7. Saving.-** The provisions of this Act shall be in addition to and not in derogation of the provisions of any other law providing for striking out vexatious pleadings or prevention of abuse of process of law, or which require consent, sanction or approval in any form of any other authority for the institution or continuance of any civil or criminal proceeding.

दीपक माहेश्वरी,
**Principal Secretary to the Government.**



**Government Central Press Jaipur.**